निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना

(भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत)

1. संक्षिप्त नाम, उद्देश्य, विस्तार, परिधि और लागू होना–

1.1 – यह योजना '' निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना '' कहलाएगी। यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1)(ई) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है।

1.2 – इस योजना का उद्देश्य मण्डल की औजार/टूलकिट के लिए सहायता राषि दिलाना है।

1.3 – यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।

1.4 – यह योजना 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ–

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 – "अधिनियम'' का आशय भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है।

2.2 – "नियम" 2009, का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम, 2009 से अभिप्रेत है।

2.3 – "मण्डल'' का आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत हैय

2.4 – "सचिव'' का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है।

2.5 – "परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन'' उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित है।

3. योजना में देय हितलाभ–

निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टूलकिट खरीदने पर 2 हजार रुपये अथवा वास्तविक औजार/टूलकिट का क्रय मूल्य, जो भी कम हो, का पुनर्भरण।

4. पात्रता एवं शर्तें–

इस योजना में औजार/टूलकिट के लिए राशि प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता व शर्तें निर्धारित की जाती है:–

4.1 – 3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।

4.2 – स्वंय के कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टूलकिट खरीदने पर ही राशी देय

4.3 – औजार/टूलकिट की खरीद स्वंय निर्माण श्रमिक द्वारा की जाएगी तथा बिल आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

5. आवेदन की समय–सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया–

5.1 – हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन.पत्र (प्रपत्र.1) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा।

5.2 – आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.3 – आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि. आवेदन पत्र अंशदान या प्रीमियम राशि हिताधिकारी के बैंक बचत खाते से कटौती किये जाने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में किया जा सकेगा।

6. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज–

निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हएु आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सलंग्न किया जाना आवश्यक होगा:–

6.1 – हिताधिकारी के पंजीयन परिचय–पत्र की प्रति।

6.2 – हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।

6.3 – हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति।

6.4 – औजार/टूलकिट का विक्रय रसीद की प्रति।

विशेष:– सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदक को उसी समय वांछित पूर्ति के लिए लौटा दिये जायेंगे।

7. **विसंगति का निराकरण–** योजना में उल्लेखित शर्तोंधनियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना : इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी को औजार/टूलकिट की खरीद पर ₹2000 या वास्तविक लागत, जो भी कम हो के अनुसार सहायता राशि दी जाती है।

7. निर्माण श्रमिक औजार / टूलकिट सहायता योजना :-

औजार / टूलकिट खरीदने पर 2 हजार रु. तक सहायता |